


# वोट वापसी पासबुक एवं खम्बा आन्दोलन

हम भारत में पिछले 24 वर्षों से वोट वापसी, जूरी कोर्ट, जनमत संग्रह आदि कानून लागू करवाने के लिए जनान्दोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राजवर्ग (मंत्री, उच्च अधिकारी आदि) को प्रजा के अधीन किया जा सके। भारत का कोई भी नागरिक, संगठन या राजनैतिक पार्टी इन कानून ड्राफ्ट्स का मुक्त रूप से प्रचार कर सकते हैं एवं इन्हें अपने मेनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है।



**राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। वर्ना राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा, और राज्य का विनाश होगा !! राजवर्ग प्रजा का उसी तरह भक्षण कर जायेगा जैसे मांसाहारी पशु शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं – अथर्ववेद**

#	प्रस्तावित कानून का नाम	हेश कोड	पेज नं
01	खनिज मुनाफा बैंटवारा	#KhamBa	02
02	रिक्त भूमि कर	#EmptyLandTax	03
03	जिला जूरी कोर्ट	#JilaJuryCourt	04
04	विदेशी निवेश में कटौतियां	#ReducingFDI	05
05	राष्ट्रिय हिन्दू बोर्ड	#HinduBoard	06
06	गौ नीति	#GauNiti	07
07	जूरी पंचायत	#JuryPanchayat	08
08	दू चाइल्ड लॉ	#TwoChildLaw	09
09	राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर	#NRCI	10
10	राज्य टीसीपी	#StateTCP	11
11	वोट वापसी मुख्यमंत्री	#VvpCm	12
12	वोट वापसी प्रधानमंत्री	#VvpPm	13
13	अंतर्धर्मी विवाह मेरिज एक्ट	#DecidingMarriageCode	14
14	वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री	#VvpHealthMinister	15
15	कूर्ग गन लॉ रेफरेंडम	#CoorgGunLawReferendum	16
16	सरकारी जमीन किराया बंटवारा	#SaJaKiBa	17
17	वोट वापसी पासबुक	#VoteVapsiPassbook	18
18	सोशल मीडिया पॉलीसी	#SocialMediaPolicy	19

वोट वापसी कानूनों के अलावा जूरी सिस्टम होना सबसे बड़ी वजह रही कि अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस जैसे देश भारत जैसे देशों से तकनीक के क्षेत्र में आगे, काफी आगे निकल गए। जूरी मंडल ने वहां के छोटे-मझौले कारखाना मालिकों की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की और वे तकनिकी रूप से उन्नत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खड़ी कर पाए !!

# #14 भारतीय राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर

## NRCI – National Register for Citizenship of India

विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अनुसार भारत में 2 करोड़ के लगभग अवैध आर्थिक विदेशी (illegal economic immigrant) रह रहे हैं। असम, बंगाल, पूर्वोत्तर के अलावा ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन अवैध विदेशीयों में प्रताड़ित शरणार्थी भी हैं, और आर्थिक अवसरों की तलाश में आये विदेशी (illegal economic migrant) भी हैं। इनकी वजह से भारत के संसाधनों पर भार बढ़ रहा है, और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। इन अवैध विदेशी निवासीयों में से कई समूह हिंसक अपराधों एवं तस्करी आदि में भी लिप्त हैं। यदि पाकिस्तान एवं चीन इन्हें बंगलादेशी सीमा के माध्यम से हथियार भेजना शुरू कर देते हैं तो ये अवैध विदेशी निवासी भारत में एक हिंसक गृह युद्ध शुरू कर सकते हैं।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सन 2019 में संसद में भरोसा दिलाया था कि जल्दी ही वे देश व्यापी NRC का ड्राफ्ट लायेंगे। किन्तु सरकार ने अभी तक NRC का ड्राफ्ट तक सामने नहीं रखा है। असम में NRC का जो ड्राफ्ट लागू किया गया था, उसमें गंभीर विसंगितियाँ एवं कमियां थीं। उदाहरण के लिए असम का NRC न तो अवैध रूप से रह रहे आर्थिक विदेशीयों को चिन्हित करता है, और न ही उन्हें डिपोर्ट करने की कोई व्यवस्था देता है। दुसरे शब्दों में, CAA एवं असम में किये गए NRC ने इस समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि इस तरह की प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है कि इस समस्या को सुलझा लिया गया है। हमारे द्वारा प्रस्तावित NRCI में इस तरह के प्रावधान किये गए हैं कि यह कानून आने के 1 वर्ष के भीतर सभी अवैध आर्थिक विदेशी या तो डिपोर्ट कर दिए जायेंगे या फिर स्वयं ही अपने मुल्कों में लौट जायेंगे।

प्रस्तावित NRCI कानून में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (National Register for Citizens of India) बनाने की प्रक्रिया दी गयी है। गेजेट में प्रकाशित होने के साथ ही नागरिकता रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। इस कानून को मनी बिल / धन विधेयक के रूप में लोकसभा से पास करके गेजेट में छापा जा सकता है। नागरिकता रजिस्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने के लिए पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/NrcIndia](http://tinyurl.com/NrcIndia)



1. यह कानून निम्नलिखित कार्य करेगा :
  - a. अवैध विदेशीयों को (illegal immigrant) भारत से निष्कासित करेगा।
  - b. प्रताड़ित शरणार्थीयों (persecuted refugee) को शरण देगा।
  - c. नागरिकता रजिस्टर (national citizenship register) बनाएगा।
2. प्रस्तावित NRCI कानून के अनुसार, ऐसे विवाद की स्थिति में कि कौन अवैध आर्थिक विदेशी है और कौन प्रताड़ित शरणार्थी है, का अंतिम फैसला नागरिकों की जूरी करेगी, जज नहीं।
3. प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार (NCRO) की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रीय रजिस्ट्रार प्रधानमंत्री की अनुमति से जिला कलेक्टरों को जिला रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रीय रजिस्ट्रार प्रधानमंत्री की अनुमति से जिला रजिस्ट्रारों की नियुक्ति भी कर सकता है, या इच्छित जिलों में अलग से जिला रजिस्ट्रारों की नियुक्ति भी कर सकता है।
4. राष्ट्रीय रजिस्ट्रार एवं उसका स्टाफ वोट वापसी पासबुक एवं जूरी मंडल के दायरे में रहेगा। ताकि यदि राष्ट्रीय रजिस्ट्रार अपना काम त्वरित एवं निष्पक्ष ढंग से नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके उसे बदल सके।

# #19 स्टेट टीसीपी : पारदर्शी शिकायत प्रणाली

इस कानून के आने के बाद आपकी सरकार से कोई भी मांग है तो आप अपनी मांग को एक शपथपत्र में लिखकर उसे मुख्यमंत्री द्वारा बनायी गयी टीसीपी नामक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करवा सकेंगे। और यदि राज्य का कोई भी नागरिक आपकी मांग पर प्रतिक्रिया देना चाहता है तो वह पटवारी कार्यालय में जाकर आपके शपथपत्र पर हाँ / ना दर्ज करवा सकेगा। इस कानून को लागू करने के लिए विधानसभा से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छापकर राज्य में लागू कर सकते हैं। हेश कोड : #StateTCP

- (1) यह कानून राज्य के मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेंगे।
1. यह शपथपत्र मतदाता द्वारा प्रस्तुत कोई शिकायत, सुझाव या प्रस्तावित कानून या अन्य कोई याचनात्मक समाधान हो सकता है। नागरिक शपथपत्र जमा करते समय 20 रु प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क अदा करेगा।
  2. कलेक्टर कार्यालय प्रस्तुत शपथपत्र को चिन्हित करने के लिए एक विशिष्ट सीरियल नंबर जारी करेगा।
  3. कलेक्टर कार्यालय शपथपत्र को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर इस तरह अपलोड करेगा कि कोई भी व्यक्ति यह शपथपत्र बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
- (2) राज्य का कोई भी मतदाता किसी भी दिन पटवारी कार्यालय जाकर धारा 1 के तहत प्रस्तुत शपथपत्र के नंबर का उल्लेख करते हुए अमुक शपथपत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज करवा सकता है। कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आप अपनी हाँ / ना SMS के माध्यम से भी दर्ज करवा सके।
1. कलेक्टर कार्यालय मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को मतदाता के नाम एवं मतदाता संघ्या को मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से दर्ज करेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ / ना को बिना लॉग-इन (Log in) के देख सके।
  2. किसी शपथपत्र पर हाँ / नहीं दर्ज करने या उसे बदलने के लिए मतदाता को शुल्क देना होगा। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह शुल्क 1 रु तथा अन्य नागरिकों के लिए यह 3 रु होगा। मतदाता किसी शपथपत्र पर दर्ज की गयी अपनी हाँ / ना को किसी भी दिन कितनी भी बार बदल सकते हैं।
- (3) धारा 1 में शपथपत्र देने के लिए कलेक्टर नागरिक से शून्य से लेकर पांच गवाह तक, जो कि आपको निजी रूप से जानते हो, लाने के लिए भी कह सकता है।
1. एक बार शपथपत्र फ़ाइल करने के बाद शपथकर्ता इसे हटा नहीं सकेगा। अदालत के आदेश को छोड़कर किसी भी अधिकारी को दर्ज शपथपत्र को हटाने की अनुमति नहीं होगी।
  2. सूचित किया जाता है कि - शपथपत्र में अनुचित जानकारी या मानहानि कारक, या निन्दात्मक कथन के लिए शपथकर्ता पर किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत में बाद दायर किया जा सकता है।
- (4) नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के प्रभारी सचिव को आदेश जारी किये जाते हैं कि वे ऐसी आवश्यक वेबसाइट आदि की रचना करे जिससे कलेक्टर ऊपर दी गयी धाराओं में दर्ज प्रक्रिया को लागू कर सके।

TCP का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें- [tinyurl.com/StateTcp](http://tinyurl.com/StateTcp)

# #24 वोट वापसी मुख्यमंत्री

यह प्रस्तावित कानून मुख्यमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस कानून को विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। यह कानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि एक सुझाव है। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/VvpCm](http://tinyurl.com/VvpCm)



मुख्यमंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए हैं

- (1) मुख्यमंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने एफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 10,000 रु का शुल्क लेकर उसे मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और एफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) पदासीन मुख्यमंत्री निचे दी गयी दो स्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते हैं :
  - नागरिकों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा
  - मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
- (3) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन मुख्यमंत्री की स्वीकृतियों या मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 10 लाख अधिक हो जाती है तो विधायक सभा से अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया मुख्यमंत्री नियुक्त सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

**स्पष्टीकरण :** मान लीजिये कि, 3 करोड़ आबादी एवं 200 विधानसभा सीटों के राज्य में X मौजूदा सीएम है, और उसे विधानसभा में 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये, इन 120 विधायकों को चुनाव में कुल 1 करोड़ मत मिले थे, और X को नागरिकों से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों की संख्या 80 लाख है।

1. मान लीजिये, Y सीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 90 लाख नागरिक स्वीकृतियां दे देते हैं तो भी X सीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन विधायकों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का योग 1 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 1.10 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है तो X अपना इस्तीफा दे सकता है।
2. अब मान लीजिये, Y को 1.10 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है, किन्तु यदि X सीएम के रूप में संतोषप्रद काम कर रहा है, अतः X की स्वीकृतियां बढ़कर यदि 1.15 करोड़ हो जाती हैं, तो भी X सीएम बना रहेगा।

# #25 वोट वापसी प्रधानमंत्री

यह प्रस्तावित क्रानून प्रधानमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस कानून को लोकसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। यह क्रानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि एक सुझाव है। इस क्रानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/VvpPm](http://tinyurl.com/VvpPm)



प्रधानमंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए हैं

- (1) प्रधानमंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने एफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 25,000 रु का शुल्क लेकर उसे प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और एफिडेविट को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) पदासीन प्रधानमंत्री निचे दी गयी दो स्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते हैं :
  - नागरिकों द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा
  - प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
- (3) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन प्रधानमंत्री की स्वीकृतियों या प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो सांसद सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त सकते हैं या उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

**स्पष्टीकरण :** मान लीजिये कि, X मौजूदा पीएम है, और उसे लोकसभा में 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये कि, इन 300 सांसदों को लोकसभा चुनाव में कुल 33 करोड़ मत प्राप्त हुए थे, और X को नागरिकों से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों की संख्या 30 करोड़ है।

  3. मान लीजिये, Y पीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 32 करोड़ नागरिक स्वीकृतियां दे देते हैं तो भी X पीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन सांसदों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का योग 33 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती हैं तो X अपना इस्तीफा दे सकता है, या नहीं भी दे सकता है।
  4. अब मान लीजिये, Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है, किन्तु यदि X पीएम के रूप में अच्छा काम कर रहा है, अतः X की स्वीकृतियां बढ़कर 35 करोड़ हो जाती हैं, तो भी X पीएम बना रहेगा।

# #29 अंतरधर्मी विवाहोपरांत मेरिज एक्ट चुनने की शक्ति

(Power to Decide Marriage Code after Marriage)

भारत में विविध धर्मों के लिए भिन्न विवाह कानून लागू है। इनमें कुछ धर्मों के विवाह कानून महिलाओं को मजबूत सरंक्षण प्रदान करते हैं जबकि कुछ धर्मों के विवाह कानून में महिलाओं को पर्याप्त सरंक्षण नहीं है, और इस वजह से उन महिलाओं की स्थिति विवाह के बाद कमज़ोर हो जाती है, जिन्होंने किसी अन्य धर्म के युवक से विवाह किया है और अमुक युवक के धर्म का विवाह कानून महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। यह कानून अंतरधर्मी विवाह करने वाली महिलाओं को विवाह के उपरान्त वैवाहिक झगड़ों के निपटान के लिए अपने जन्मना धर्म का कानून चुनने की शक्ति देता है। हेश कोड : #DecidingMarriageCode



(1) वैवाहिक विवादों की दशा में विवादों का निपटान किस धर्म के वैवाहिक कानून के तहत किया जाएगा इसका फैसला लेने का अंतिम अधिकार विवाहित महिला के पास होगा। महिला विवाह के उपरान्त किसी भी समय अदालत में एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगी कि उसके विवाह का निस्तारण निचे दिए गए किस कानून के तहत किया जाना चाहिए :

1. उस धर्म के वैवाहिक कानून के तहत जिस धर्म में विवाहित महिला ने जन्म लिया था, या
2. उस वैवाहिक कानून के तहत जिसके तहत दम्पत्ति ने विवाह किया था।

**स्पष्टीकरण :** मान लीजिये कि A एक जन्मना हिन्दू महिला है, जो B नामक मुस्लिम युवक से विवाहित है, तथा विवाह के दौरान या विवाह के उपरांत मुस्लिम धर्म में धर्मान्तरित भी हो चुकी है। तब भी वैवाहिक विवाद होने की स्थिति में A यदि मामले का निपटान हिन्दू मेरिज एक्ट के तहत चाहती है तो मामला हिन्दू एक्ट के तहत सुना जाएगा। A द्वारा हिन्दू मेरिज एक्ट लागू कर दिए जाने पर मुस्लिम युवक ट्रिपल तलाक द्वारा जन्मना हिन्दू महिला को तलाक नहीं दे सकेगा, और डिवोर्स हिन्दू मेरिज एक्ट के तहत अदालत के आदेश के अनुसार ही होगा। और चूंकि हिन्दू मेरिज एक्ट में बहु विवाह की अनुमति नहीं है, अतः B यदि A को डिवोर्स दिए बिना दूसरी शादी करता है तो B को हिन्दू मेरिज एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। यदि B, A का उत्पीड़न कर रहा है तो A अदालत में B एवं B के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ धारा 498A के तहत आपराधिक मुकदमे कायम करवा सकेगी।

(2) यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ लागू होगा। अर्थात् इस कानून के लागू होने की दिनांक से पूर्व संपन्न हुए सभी विवाह भी इस कानून के दायरे में आयेंगे, और सभी अंतरधर्मी विवाहों पर यह कानून लागू होगा।

(3) यदि पहले से मौजूद किसी अन्य प्रवृत्त कानून की कोई धारा इस कानून में दिए गए किसी प्रावधान का उलंघन करती है, तो इस कानून के गेजेट में प्रकाशित होने के साथ ही अन्य प्रवृत्त कानून की ऐसी समस्त विपरीत आशय दर्शाने वाली धाराएं विधि शून्य मानकर निस्त की जाती है।

पूरा ड्राफ्ट यहाँ देखें- [Tinyurl.com/DecidingMarriageCode](http://tinyurl.com/DecidingMarriageCode)

# #31 वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री

मौजूदा व्यवस्था में स्वास्थ्य मंत्री गेजेट में ऐसे कानून छापता है जिससे फार्मा एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिकों को मुनाफा हो। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रियों ने बाध्यकारी लॉकडाउन, बाध्यकारी मास्क एवं बाध्यकारी टीकाकरण जैसे कई गलत कानूनों की सिफारिश की। इस कानून के लागू होने के बाद यदि स्वास्थ्य मंत्री नागरिकों को नुकसान देने वाले कानून लागू करता है तो राज्य के मतदाता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे किसी भी समय बदल सकेंगे। इस प्रस्तावित कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/VvpHealthMinister](http://tinyurl.com/VvpHealthMinister)



स्वास्थ्य मंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

- (1) स्वास्थ्य मंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर को एफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 10,000 रु का शुल्क लेकर उसे स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और एफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
- (2) यह कानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगा। तब यदि आप स्वास्थ्य मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे बदलना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि यह विधायकों को दिया गया आपका एक सुझाव है।
- (3) यदि स्वास्थ्य मंत्री पद के किसी प्रत्याशी को राज्य की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं (कुल मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है) के 25% मतदाताओं की स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती हैं, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन स्वास्थ्य मंत्री से 1% अधिक भी हैं, तो मुख्यमंत्री मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, या नहीं भी कर सकते हैं।

[टिप्पणी : यदि सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मौजूदा विधानसभा / विधान परिषद् का सदस्य नहीं है तो अमुक व्यक्ति मंत्री बनने के बाद आगामी 6 माह में होने वाले किसी भी चुनाव या उपचुनाव में विधायक का चुनाव लड़ कर विधायक बन सकता है ]

इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की या संसद /विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में प्रकाशित करके सभी राज्यों में लागू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो इसे अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। यह कानून आने के बाद विधायकों में स्वास्थ्य मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और वे अच्छे एजेंडे जैसे खाद्य सामग्री में बढ़ती रासायनिक मिलावट को रोकना, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना आदि जन हित के मुद्दों के साथ नागरिकों के समक्ष आना शुरू करेंगे ताकि नागरिक उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए स्वीकृतियां दे सके। इस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गठजोड़ स्वास्थ्य मंत्री से टूट जायेंगा।

## #32 कूर्ग गन लॉ मेरे जिले में लागू करने हेतु जनमत संग्रह

(Referendum to bring Coorg like Gun Law in my district)

सरकार द्वारा द्वापा गया 1963 का नोटिफिकेशन कर्नाटक के कूर्ग जिले के प्रत्येक मूल निवासी को बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार देता है। भारत के शेष जिलों में रहने वाले नागरिकों को यदि अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदनी हो तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। आम तौर पर सरकार द्वारा बंदूक का लाइसेंस सिर्फ चुनिंदा रसूखदार आदमियों को ही दिया जाता है, और इसके लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए तक की धूस भी देनी होती है। किन्तु कूर्गी नागरिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर बंदूक खरीद सकता है। हमने कूर्ग का कानून अन्य जिलों में लागू करने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया है #CoorgGunLawReferendum

1. मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यह कानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में किसी जिले की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता इसे लागू करने के लिए हाँ (Yes) दर्ज करें।
2. यदि किसी जिले के 55% से कम नागरिकों ने इस कानून को लागू करने की सहमती दी है तो मुख्यमंत्री इस कानून को किसी भी स्थिति में लागू नहीं करेंगे।
3. यदि कुल मतदाताओं के 55% नागरिकों ने कूर्ग के कानून को अपने जिले में लागू करने के लिए अपनी सहमती दे दी है, तब भी इसे लागू करने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि मुख्यमंत्री चाहे तो जनमत के खिलाफ जाने का फैसला ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री यदि निचे दी गयी धाराओं को गेजेट में प्रकाशित कर देते हैं तो अमुक जिले में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जनमत संग्रह पूरी तरह से संवैधानिक है, अतः इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत भी नहीं है।

date of  
notification :  
to be added by  
CM office

असाधारण ; प्रस्तावित राजपत्र अधिसूचना  
EXTRAORDINARY ; PROPOSED GAZETTEE NOTIFICATION

notification  
no : to be  
added by CM  
office

Instructions  
for  
District  
Collector

जिला  
कलेक्टर के  
लिए निर्देश

क्या आपके जिले में कूर्ग में लागू बंदूक का कानून लागू किया जाना चाहिए ? प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने के आदेश जारी किये जाते हैं। निचे दी गयी प्रक्रिया को पालित करने के लिए आवश्यक कदम अविलम्ब उठाए जाएं।

1. इस जनमत संग्रह की अवधि 90 दिवस होगी। प्रारंभ होने के 90 दिनों पश्चात् जनमत संग्रह बंद हो जाएगा, तथा नतीजे सार्वजनिक कर दिए जायेंगे।
2. नागरिक पटवारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय में जाकर उपरोक्त प्रश्न पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा।
3. मतदाताओं की हाँ / ना जिले की वेबसाईट पर भी सार्वजनिक होगी।
4. हाँ दर्ज करने के लिए 3 रुपए शुल्क लगेगा, किन्तु ना दर्ज करना निशुल्क होगा।
5. मतदाता अपनी हाँ / ना को कितनी भी बार बदल सकता है।

# #07 सरकारी जमीन किराया बँटवारा

(सरकारी जमीन का किराया सीधे नागरिकों के खातों में भेजने का प्रस्ताव)

इस कानून का उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाले उन सभी भूखंडों को बाजार में लाना है जो सरकार एवं जनता के किसी भी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। निचे इस प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हेश : #SaJaKiBa

- (1) इस कानून के लागू होने पर केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे सभी भूखंड जो आज खाली पड़े हैं, को 5 से 25 वर्ष की अवधि की लीज पर दिया जाएगा। इस भूमि से प्राप्त किराए से इकट्ठा हुयी राशि सभी भारतीयों में बराबर बटेंगी। प्रत्येक भारतीय को यह राशि हर महीने सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।
- उदाहरण के लिए दिल्ली 1500 करोड़ स्क्वायर फुट में फैली हुई है, और इसमें से 300 करोड़ स्क्वायर फुट जमीन सरकार के पास खाली पड़ी है। और इसी तरह सरकार के पास पूरे भारत में (अहमदाबाद में 50 करोड़ स्क्वायर फुट, जयपुर में 70 करोड़ स्क्वायर फुट) कीमती जमीनें हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। यह सारी जमीन किराए / लीज पर दे दी जायेगी।
- (2) जमीनों को किराए पर देकर पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रिय किराया अधिकारी वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। यदि किराया अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे।
- यदि किराया अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में नहीं लाया गया तो किराया अधिकारी कीमती जमीनों को किराए पर नहीं देगा और कोई न कोई बहाना बताकर उनके दबा कर बैठा रहेगा, ताकि इच्छित क्षेत्र में कीमतें बढ़ने से स्थानीय बिल्डर एवं भू माफिया को फायदा हो। वोट वापसी पासबुक के दायरे में न होने पर वह किराए / लीज आदि की बोली लगाने में भी घपले करेगा।
- (3) यदि किराया अधिकारी या उसके स्टाफ के खिलाफ घपले आदि की कोई शिकायत आती है तो सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति सरकार के आदमी (जज आदि) के पास न होकर नागरिक समूह (जूरी मंडल) के पास रहेगी। जूरी सिस्टम होने से भू माफिया जजों से गठजोड़ नहीं बना सकेंगे।

इस कानून के आने ने निम्नलिखित परिवर्तन आयेंगे :

- बाजार में आपूर्ति बढ़ने से जमीन के दाम 50% तक कम हो जायेंगे अतः जन सामान्य कम कीमतों पर घर/दूकान हेतु जमीन खरीद सकेगा।
- जिन व्यक्तियों ने रहने या कारोबार के लिए जमीन किराए पर ले रखी है उन्हें 2000 से 10,000 रु महीना की बचत होगी।
- सरकारी जमीन के किराए से प्राप्त होने वाली राशि नागरिकों को मिलने से नागरिकों को प्रति माह 400 से 500 रु की आय होगी।



इस कानून का पूरा ड्राफ्ट दिए गए QR कोड से डाउनलोड करें या इस लिंक पर जाएं - [tinyurl.com/Khamba2](http://tinyurl.com/Khamba2)

# #35 सोशल मीडिया को सुधारने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना

14 धाराओं की इस अधिसूचना को प्रधानमंत्री अपने हस्ताक्षर करके राजपत्र में सीधे प्रकाशित कर सकते हैं। इस कानून के गेजेट में आने से निम्न परिवर्तन आयेंगे :

1. राजनैतिक एवं अन्य ऐसे समूहों की IT cells द्वारा नामालूम खातों द्वारा फैलाए जा रहे सुनियोजित झूठे प्रोफेंटा, फेक न्यूज आदि में कमी आएगी।
2. नग्रता, अक्षीलता, गाली-गलौच आदि के सार्वजनिक प्रदर्शन में कमी आएगी, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध घटेंगे।



पूरा ड्राफ्ट देखने के लिए यह QR कोड स्कैन करें या इस लिंक पर जाएं - [tinyurl.com/SocialMediaPolicy1](http://tinyurl.com/SocialMediaPolicy1)

1. **सिर्फ सत्यापित खाते :** सोशल मीडिया कम्पनी किसी भी यूजर की पहचान का सत्यापन (Identity Verification) किये बिना उसे खाता खोलने की अनुमति नहीं देगी। पहचान को सत्यापित करने के लिए सिर्फ मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्य किसी दस्तावेज का नहीं।
  1. अवयस्क या NRI / PIO / OCI अपना खाता खोलने के लिए अपने माता-पिता, भाई-बहन या इनके सहोदर रिश्तेदारों या अपने विधिक अभिभावक के मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकता है।
  2. यदि कोई ईकाई (कम्पनी, एनजीओ एवं फर्म) अपना खाता खोलना चाहती है तो अमुक ईकाई के निदेशक / ट्रस्टी / सांचेदार अपने मतदाता पहचान पत्र के द्वारा ईकाई के नाम से खाता खोल सकेंगे।
2. **पहचान का प्रदर्शन :** प्रोफाइल के About सेक्शन में सबसे ऊपर एवं पहले खाता धारक की मतदाता संख्या, उसका जिला एवं उसके द्वारा चलाए जा रहे खातों की संख्या दृश्यमान (Visible) होगी, ताकि कोई भी यूजर इसे देख सके।
3. **चेटिंग सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म** (व्हाट्स एप, टेलीग्राम, मेसेंजर, हाईक आदि) पर जब कोई मेसेज फॉरवर्ड किया जाएगा तो मेसेज के हेडर पर उस व्यक्ति का नाम व वोटर नं लिखा दिखेगा जिसके मेसेज को फॉरवर्ड किया गया।
4. **वयस्क सामग्री** जैसे डेटिंग एप, व्यस्क श्रेणी के वीडियो, ऑडियो, वयस्क श्रेणी के उत्पाद जो कि अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, के विज्ञापन सिर्फ वयस्कों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों के दौरान ही दिखाए जा सकेंगे।
5. **ऑनलाइन जुआ** एवं दांव खिलाने वाली सभी प्रकार की बेटिंग एप को प्रतिबंधित किया जाता है।
6. **शिकायतों की सुनवाई जूरी द्वारा :** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किये गए ऐसे सभी कृत्य जो भारत में प्रवृत दंड संहिताओं के अंतर्गत दण्डनीय हैं, जैसे - दृश्य या श्रव्य माध्यम से नग्रता, न्यूसेंस, गाली-गलौच, अफवाह, फेक न्यूज, धमकी, जातीय-साम्प्रदायिक वैमनस्य आदि फैलाना - जूरी के दायरे में आयेंगे।
7. **जूरी के समक्ष शिकायत करने की प्रक्रिया :** यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किये गए किसी कृत्य पर आपत्ति या शिकायत है तो वे अपने जिले के महाजूरी मंडल को लिखित में अपनी शिकायत दे सकते हैं। मामले की गंभीरता के अनुसार जूरी में 12 से 1500 तक सदस्य हो सकेंगे।

# #33 प्रस्तावित वोट वापसी पासबुक

**#VoteVapsiPassbook :** इस कानून को लागू करने के लिए विधानसभा या लोकसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमन्त्री इस कानून पर हस्ताक्षर करके इसे सीधे गेजेट में प्रकाशित कर सकते हैं।

(1) इस कानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगा। निम्नलिखित 4 अधिकारी इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. जिला पुलिस प्रमुख | 3. स्वास्थ्य मंत्री |
| 2. मुख्यमंत्री       | 4. शिक्षा मंत्री    |

(2) तब यदि आप उपरोक्त व्यक्तियों के काम काज से संतुष्ट नहीं हैं और इन्हें बदलकर किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर लाना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या इसे रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि एक सुझाव है।

(3) शुरुआती चरण में इस पासबुक के दायरे में उपरोक्त 4 अधिकारी आयेंगे। मुख्यमंत्री अन्य अधिकारियों जैसे जिला जज, हाईकोर्ट जज, चिकित्सा अधिकारी आदि के पेज भी इस पासबुक में जोड़ सकते हैं। यदि नागरिक भी चाहे तो इसी कानून की धारा 10 का इस्तेमाल करके अमुक अधिकारियों के नाम इस पासबुक में जोड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दर्ज करवा सकेंगे। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट देखने के लिए इस लिंक पर जाएं— [Tinyurl.com/Vvp33](http://tinyurl.com/Vvp33)

## वोट वापसी पासबुक

- मुख्यमंत्री
- स्वास्थ्य मंत्री
- पुलिस प्रमुख
- शिक्षा मंत्री

**Vote Vapsi Dhan Vapsi Passbook**

Page 1 of 16

❖ भारत की किसी भी पाठ्यपुस्तक एवं समाचार-पत्र ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि— **अमेरिका में मुख्यमंत्री, जिला पुलिस प्रमुख एवं हाई कोर्ट जज को शामिल करते हुए कई अधिकारीयों पर वोट वापसी कानून लागू है !!**

असल में यह सबसे बड़ी वजह है कि, वहां की पुलिस एवं अदालतों में भारत की तुलना में काफी कम भ्रष्टाचार है। और पुलिस एवं अदालतों में भ्रष्टाचार कम होने की वजह से सभी विभागों में भ्रष्टाचार कम है। इसके अलावा अमेरिका में जिला एवं राज्य स्तर पर जनमत संग्रह प्रक्रियाएं होने के कारण यदि सरकार कोई गलत कानून बनाती है तो नागरिक बहुमत का प्रदर्शन करके उसे रद्द करवा देते हैं।

जैसे जैसे भारत में वोट वापसी कानूनों की मांग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पेड़ मीडिया के प्रायोजक यह प्रयास कर रहे हैं कि वोट वापसी कानूनों की चर्चा को सिर्फ सरपंच, पार्षद, विधायक एवं सांसद जैसे कमजोर पदों तक सीमित रखा जाए। असल में, विधायक एवं सांसदों के पास गेजेट छापने की शक्ति नहीं होती है। गेजेट में कानून छापने की शक्ति सिर्फ मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के पास होती है। अतः हमारा प्रस्ताव ताकतवर पदों को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाना है।

# #1 खनिज मुनाफा बैंटवारा

## ( खनिज मुनाफा सीधे नागरिको के खातों में भेजने का प्रस्ताव )

यह कानून खनिजों की लूट रोकने के लिए लिखा गया है। इस प्रस्तावित कानून को देश में लागू करने के लिए संसद से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस प्रस्तावित कानून में कुल 22 धाराएं हैं। निचे इस प्रस्तावित कानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हेश कोड : #KhamBa #खम्बा


- (1) इस कानून के गेजेट में छपने के बाद देश के समस्त खनिज एवं सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी/मुनाफा एवं किराया 135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता नामक बैंक खाते में जमा होगा। इकट्ठा हुयी इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बँटेगा और 35% सेना को मजबूत बनाने में खर्च होगा।
  - इस समय खनिज रॉयल्टी का पैसा सरकार के पास जाता है, और सरकार इसे अपने विवेक से खर्च करती है। खनिज, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधन देश के नागरिकों की संपत्ति है, न कि सरकार की। सरकार की आय टेक्स है और सरकार को अपना खर्च सिर्फ टेक्स से निकालना चाहिए। अतः देश के खनिजों की विक्री से आने वाल पैसा हर महीने सभी नागरिकों में बराबर बांटा जाना चाहिए।
- (2) खनिजों की नीलामी करके पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रिय खनिज रॉयल्टी अधिकारी वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा। यदि खनिज अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे बदलने के लिए स्वीकृति दे सकेंगे।
  - मौजूदा व्यवस्था में खनिज अधिकारी की नियुक्ति एवं निष्कासन सरकार के हाथ में होने के कारण खनन माफिया सत्ताधारी नेताओं एवं अधिकारीयों के साथ गठजोड़ बनाकर खनिजों को बड़े पैमाने पर लूट रहे हैं। दरअसल खोदे जा रहे खनिज का लगभग 20% हिस्सा ही रिकॉर्ड पर आता है, एवं शेष 80% उपरोक्त गठजोड़ द्वारा अवैध खनन के रूप में लूट लिया जाता है। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए खनिज अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में किया गया है।
- (3) यदि खनिज अधिकारी या उसके स्टाफ के खिलाफ घपले आदि की कोई शिकायत आती है तो सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति सरकार के आदमी (जज आदि) के पास न होकर नागरिक समूह (जूरी मंडल) के पास रहेगी। जूरी मंडल में 12 से 1500 तक जूरी सदस्य हो सकेंगे। प्रत्येक मामले के लिए अलग जूरी होगी और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जायेगी। जूरी सिस्टम खनन माफिया एवं जजों के गठजोड़ को तोड़ देगा।

खनन के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक भारतीय को प्रति माह लगभग 3000 रु तक राशि प्राप्त हो सकती है। खनिजों एवं जमीनों का बाजार भाव बढ़ने या घटने के साथ यह राशि घट या बढ़ सकती है। जूरी मंडल कैसे काम करेगा एवं वोट वापसी की प्रक्रिया क्या होगी आदि के विवरण के लिए खनिज मुनाफा बैंटवारा कानून का पूरा ड्राफ्ट दिए गए QR कोड से डाउनलोड करें या इस लिंक पर जाएं – [Tinyurl.com/Khambaa2](http://tinyurl.com/Khambaa2)



# वोट वापसी पासबुक एवं खम्बा आन्दोलन

हम भारत में पिछले 24 वर्षों से वोट वापसी, जूरी कोर्ट, जनमत संग्रह आदि कानून लागू करवाने के लिए जनान्दोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि राजवर्ग (मंत्री, उच्च अधिकारी आदि) को प्रजा के अधीन किया जा सके। भारत का कोई भी नागरिक, संगठन या राजनैतिक पार्टी इन कानून ड्राफ्ट्स का मुक्त रूप से प्रचार कर सकते हैं एवं इन्हें अपने मेनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है।



**राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए। वर्ना राजवर्ग प्रजा को लूट लेगा, और राज्य का विनाश होगा !! राजवर्ग प्रजा का उसी तरह भक्षण कर जायेगा जैसे मांसाहारी पशु शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं – अथर्ववेद**

#	प्रस्तावित कानून का नाम	हेश कोड	पेज नं
01	खनिज मुनाफा बैंटवारा	#KhamBa	02
02	रिक्त भूमि कर	#EmptyLandTax	03
03	जिला जूरी कोर्ट	#JilaJuryCourt	04
04	विदेशी निवेश में कटौतियां	#ReducingFDI	05
05	राष्ट्रिय हिन्दू बोर्ड	#HinduBoard	06
06	गौ नीति	#GauNiti	07
07	जूरी पंचायत	#JuryPanchayat	08
08	दू चाइल्ड लॉ	#TwoChildLaw	09
09	राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर	#NRCI	10
10	राज्य टीसीपी	#StateTCP	11
11	वोट वापसी मुख्यमंत्री	#VvpCm	12
12	वोट वापसी प्रधानमंत्री	#VvpPm	13
13	अंतर्धर्मी विवाह मेरिज एकट	#DecidingMarriageCode	14
14	वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री	#VvpHealthMinister	15
15	कूर्ग गन लॉ रेफरेंडम	#CoorgGunLawReferendum	16
16	सरकारी जमीन किराया बंटवारा	#SaJaKiBa	17
17	वोट वापसी पासबुक	#VoteVapsiPassbook	18
18	सोशल मीडिया पॉलीसी	#SocialMediaPolicy	19

वोट वापसी कानूनों के अलावा जूरी सिस्टम होना सबसे खड़ी वजह रही कि अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस जैसे देश भारत जैसे देशों से तकनीक के क्षेत्र में आगे, काफी आगे निकल गए। जूरी मंडल ने वहां के ओटो-मद्दौले कारखाना मालिकों की जज-पुलिस-नेताओं के भ्रष्टाचार से रक्षा की और वे तकनीकी रूप से उन्नत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खड़ी कर पाए !!

# #2 रिक्त भूमि कर

## (GST हटाकर रिक्त भूमि कर लाने का प्रस्ताव)

इस क्रान्ति के गेजेट में छपने के बाद जीएसटी रद्द हो जाएगा। प्रस्तावित रिक्त भूमि कर क्रान्ति में कुल 16 धाराएं हैं। निचे इस क्रान्ति के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। हेश कोड : #CancelGst #EmptyLandTax

इस क्रान्ति के गेजेट में प्रकाशित होने के साथ ही जीएसटी क्रान्ति रद्द होगा, तथा नागरिकों द्वारा धारण की गयी अतिरिक्त भूमि 1% सालाना की दर से कर योग्य होगी। यह क्रान्ति भूमि पर कर नहीं लगाता, बल्कि अनुपयोगी एवं अकार्यशील भूमि को कर के दायरे में लेता है। रिक्त भूमि धारण करने वाला भू-स्वामी साल में 1 बार रिक्त भूमि कर का रिटर्न भरेगा। यदि वह आयकर दाता भी है तो चुकाए गये आयकर को देय रिक्त भूमि कर में से घटा दिया जाएगा। रिक्त भूमि कर से सरकार के पास उतना पैसा इकट्ठा हो जायेगा जितना Gst से हो रहा है। प्रस्तावित रिक्त भूमि कर क्रान्ति का पूरा ड्राफ्ट दिए गए QR कोड से डाउनलोड करें अथवा इस लिंक पर जाएं - [Tinyurl.com/EmptyLandTax](http://tinyurl.com/EmptyLandTax)



### इस क्रान्ति के गेजेट में आने से निम्नलिखित बदलाव आयेंगे

- (1) **उपभोक्ता के लिए :** Gst वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर कर है। आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर Gst चुकाते हैं। जब आप बिल नहीं लेते तब भी आप यह कर चुकाते हैं, क्योंकि यह लागत में जुड़ा होता है। विभिन्न वस्तुओं पर Gst कि दरें 5% से लेकर 28% तक हैं। अतः आप जीवन यापन के लिए जितना भी खर्च करते हैं, उसका औसतन 15% सरकार के पास कर के रूप में चला जाता है। यदि कोई परिवार घर चलाने के लिए (राशन, बिजली-पानी-फोन के बिल, यात्रा, दवाइयां आदि) पर 20,000 रु मासिक खर्च करता है तो इसमें से 3,000 रु वह Gst के रूप में चुका देता है। रिक्त भूमि कर आने के बाद Gst हट जायेगा अतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर उपभोक्ता को कोई कर नहीं चुकाना होगा।
- (2) **कारोबारियों के लिए :** इस क्रान्ति के आने के बाद माल बनाने, माल खरीदने, बेचने, स्टॉक रखने, ट्रांसपोर्ट करने आदि पर न तो कोई टेक्स चुकाना होगा, और न ही कारोबारी को इसका हिसाब सरकार को देना होगा। यदि व्यक्ति ऐसी वस्तु का कारोबार कर रहा है जो प्रतिबंधित एवं लाइसेंस शुदा वस्तुओं (जैसे मादक पदार्थ, विस्फोटक आदि) की श्रेणी में नहीं आती तो सरकार का उसके कारोबार में कोई दखल नहीं होगा।

भारत में धनिक वर्ग एवं नेता-अधिकारी आदि बड़े पैमाने पर जमीनों में निवेश करते हैं। मतलब वे जमीन खरीद कर छोड़ देते हैं, और दाम बढ़ने पर इसे बेच कर नयी जमीन ले लेते हैं। इस तरह कीमती जमीनों कि होर्डिंग (Hoarding) की जाती है। इस क्रान्ति की केन्द्रीय सरंचना यह है कि इस्तेमाल में न आने वाली भूमि पर कर लिया जाए, ताकि बाजार में जमीन की आवक बढ़े और जमीनों के दाम कम हो। इस क्रान्ति के आने के बाद जमीन के दाम औसतन 60% से 70% तक गिर जायेंगे। जमीन स्स्ती होने से कम आय वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए घर, कारखाना, कार्यालय आदि बनाने के लिए जमीन खरीदना आसान हो जायेगा।

# #5 जिला जूरी कोर्ट

## ( मुकदमों की सुनवाई के लिए विवेकशील नागरिकों की जूरी का प्रस्ताव )

दुनिया में अदालतें चलाने की दो प्रणालियाँ मौजूद हैं – जज सिस्टम एवं जूरी सिस्टम। जज सिस्टम में मुकदमा सुनने और दंड देने की शक्ति सरकार के आदमी (जज आदि) के पास होती है, जबकि जूरी सिस्टम में यह काम नागरिकों का समूह (जूरी मंडल) करता है। कई देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, आदि में अदालतें चलाने के लिए जूरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिन देशों में जूरी सिस्टम है वहां सरकारी भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न जज सिस्टम वाले देशों की तुलना में बेहद कम है। हमने सरल प्रकृति के आपराधिक मामलों में जूरी सिस्टम लागू करने के लिए जूरी कोर्ट नामक कानून ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। इस कानून को लागू करने के लिए विधानसभा से अनुमति की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं।

इस कानून के गेजेट में आने के बाद मुकदमों की सुनवाई जूरी करेगी, तथा प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। जिला पुलिस प्रमुख (SP) इस पासबुक के दायरे में आएगा। तब यदि आपके जिले की पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके एसपी को बदलने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। जूरी एवं वोट वापसी पासबुक की विस्तृत प्रक्रिया देखने के लिए पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर पढ़ें - [tinyurl.com/JilaJuryCourt](http://tinyurl.com/JilaJuryCourt)



यदि आपका नाम जिले की वोटर लिस्ट में है और यदि ग्रैंड जूरी आपमें किसी मुकदमें को सुनने और फैसला देने का विवेक पाती है, तो यह कानून पास होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी ड्यूटी में आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों व दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत देखकर वहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा।

1. जूरी सदस्यों का आयु वर्ग 25 से 55 वर्ष के बीच होगा व उनका चयन मतदाता सूची से लॉटरी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी द्वारा आए इन नागरिकों में से विवेकशील नागरिकों का चयन करके जूरी का गठन होगा।
2. जूरी में न्यूनतम 12 सदस्य होंगे और मामले की गंभीरता देखते हुए जूरी का आकार 1500 सदस्यों तक बढ़ाया जा सकेगा।
3. प्रत्येक मामले के लिए अलग से जूरी होगी, और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जायेगी। जो व्यक्ति जूरी ड्यूटी कर चुका है, उन्हें अगले 5 वर्ष तक जूरी ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
4. जूरी ड्यूटी करने वाले नागरिक को 600 रु प्रति उपस्थिति व यात्रा व्यय मिलेगा।
5. जूरी सदस्य जज या जूरी प्रशासक की उपस्थिति में मुकदमा सुनेंगे और अपना फैसला बंद लिफाफे में जज को दे देंगे। जूरी सदस्यों के बहुमत द्वारा मंजूर फैसला जूरी का फैसला माना जाएगा।
6. जूरी का फैसला परामर्श कारी, बाध्यकारी नहीं। जज चाहे तो जूरी के फैसले में संशोधन कर सकता है, या इसे पूरी तरह पलट सकता है, या इसे अक्षरशः लागू करने का आदेश दे सकता है।

## #06 विदेशी निवेश में कटौतियां

संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमती दिए जाने के कारण भारत में विदेशियों का नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है। यह कानून भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में FDI पर रोक लगाकर सिर्फ सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति देता है। कृपया ध्यान दें कि यह कानून सभी क्षेत्रों में FDI पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ संवेदनशील क्षेत्रों में FDI पर निर्बन्धन लगाता है। इस कानून को संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके गेजेट में छापा जा सकता है। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/ReduceFDI](http://tinyurl.com/ReduceFDI)



### प्रस्तावित विदेशी निवेश में कटौतियां कानून के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

कोई भी कंपनी अपने आप को वोइक यानी सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कम्पनी (Woic = Wholly Owned by Indian citizens Company) के रूप में पंजीकृत करवा सकती है। वोइक कम्पनी से आशय ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके 100% अंश (Share) भरतीय नागरिकों या भारतीय सरकार या किसी अन्य वोइक कंपनी के पास हों, और अमुक कम्पनी के कोई भी शेयर विदेशियों के पास न हों। निचे दिए गए क्षेत्रों में सिर्फ वोइक कम्पनियां ही कारोबार करेगी।

1. सिर्फ वोइक कम्पनियां ही संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में काम कर सकेगी। संचार एवं मीडिया में सभी पाठ्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम जैसे अख्बार, मैगजीन, चैनल्स, फ़िल्में, इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया एवं टेलिकॉम आदि शामिल हैं।
2. गैर वोइक कम्पनी को भारत में बैंक एवं बीमा कम्पनी खोलने या ऐसी कोई भी वित्तीय कम्पनी खोलने की अनुमति नहीं होगी जो जमाएं (Deposits) स्वीकार करती है। राष्ट्रियकृत बैंक (Nationalised Bank) सिर्फ वोइक कम्पनी को ही कर्ज दे सकेंगे।
3. सिर्फ वोइक कम्पनियां ही रेलवे, सेटेलाईट एवं रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करेगी। रक्षा उत्पादन में हथियार निर्माण एवं सैन्य उपकरण शामिल हैं।
4. सिर्फ वोइक कम्पनी को ही खनन (Minerals) एवं ऊर्जा (Power) के क्षेत्र में काम करने की अनुमति होगी।
5. सिर्फ वोइक कम्पनियां ही शैक्षिक निकाय, शिक्षा बोर्ड, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोल सकेगी।
6. गैर वोइक कम्पनी भारत में कोई भी भूमि एवं निर्माण नहीं खरीद सकेगी, और न ही इन्हें 25 साल से अधिक अवधि के लिए किराये पर ले सकेगी।
7. माँरीशस संधि, फिजी संधि, सिंगापुर संधि एवं इस प्रकार की सभी संधियां जो विदेशी पूँजी पर कम दर से आयकर, या कम दर से पूँजीगत लाभ कर लगाती हैं, अब से निरस्त की जाती हैं।

[टिप्पणी : यदि इस खंड की कोई धारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के किसी समझौते का उलंघन करती है तो WTO भारत को समझौते से बाहर कर सकता है, या प्रधानमंत्री भारत को WTO समझौते से अलग करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकते हैं।]

# #10 राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड

यह कानून शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर सनातनी हिन्दुओं के लिए एक धार्मिक ट्रस्ट का गठन करता है। इस ट्रस्ट का नाम राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड (R.H.B.) होगा तथा इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हिन्दू बोर्ड प्रधान कहलायेगा। राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड की मुख्य कार्यकारिणी में 1 प्रमुख एवं 4 न्यासियों सहित कुल 5 व्यक्ति होंगे। यह कानून सरकार द्वारा हथियाये जा चुके सभी देवालयों को भी सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करता है। इस कानून को संसद से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें— [Tinyurl.com/HinduBoard](http://tinyurl.com/HinduBoard)



## प्रस्तावित राष्ट्रीय हिन्दू बोर्ड कानून के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

- प्रधानमंत्री एक अधिसूचना जारी करके राम जन्म भूमि देवालय, अयोध्या का स्वामित्व हिन्दू बोर्ड को सौंपेंगे। इसके अलावा हिन्दू बोर्ड उन सभी देवालयों का भी प्रबंधन करेगा जिन्हें किसी मंदिर के मालिकों ने इसे स्वेच्छा से सौंप दिया है।
- बोर्ड उन देवालयों का अधिग्रहण / प्रबंधन नहीं करेगा जिनकी देख-रेख देवालय के मालिक RHB से नहीं कराना चाहते। हिन्दू बोर्ड प्रधान और न्यासी अपने नियन्त्रण में मौजूद देवालयों को प्राप्त हुए दान को इस तरह खर्च करेंगे कि सनातन संस्कृति का सरंक्षण हो।
- भारत में निवास करने वाला प्रत्येक हिन्दू इस बोर्ड का वोटिंग मेम्बर बन सकेगा। यहाँ हिन्दू से आशय है - उन सभी समुदायों, पन्थों, सम्प्रदायों के अनुयायी जो स्वयं को हिन्दू या सनातनी या सनातनी हिन्दू कहते हैं।
- इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी एवं अन्य धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्पन्न हुए हैं, के अनुयायी स्पष्ट रूप से इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे, एवं वे इस बोर्ड के वोटिंग में बन नहीं बन सकेंगे। सभी प्रकार की मस्जिदें, चर्चे, गुरुद्वारे, बौद्ध, जैन तीर्थ स्थल आदि हिन्दू बोर्ड के दायरे से बाहर रहेंगे।
- यदि आप हिन्दू बोर्ड के सदस्य बनते हैं तो आपको एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी ताकि आप हिन्दू बोर्ड प्रधान को बदलने के लिए स्वीकृति दे सकें।
- यदि हिन्दू बोर्ड प्रधान या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो मामले को सुनने और दंड देने की शक्ति जजों के पास न होकर हिन्दू नागरिकों की जूरी के पास रहेगी। प्रत्येक मामले के लिए अलग से जूरी होगी और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी।

वर्तमान हिन्दू मंदिरों में धन के समाज में बांटने सम्बन्धी निर्णय मंदिर प्रमुख या संप्रदाय प्रमुख द्वारा लिए जाते हैं, तथा इनका ही मंदिरों की संपत्ति के उपयोग पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। ट्रस्टी का पद उत्तराधिकार तथा गुरु प्रथा द्वारा हस्तांतरित होता है। मतलब आज का गुरु ही अगला गुरु नियुक्त करता है। आजीवन कार्यकाल होने के कारण यहाँ संपत्ति इकट्ठा करने की ओर झुकाव होता है, तथा इसका उपयोग तड़क-भड़क, दिखावे एवं ऐशो आराम में भी किया जाता है। सिक्खों में अकाल तख्त के गंथी चुन कर आते हैं, और सीमित कार्यकाल (4 वर्ष) होने के कारण वे फिर से चुन कर आने के लिए गुरुद्वारों में आए दान को परोपकारी कार्यों में खर्च करने पर अधिक भार देते हैं। हिन्दू बोर्ड कानून के आने से हिन्दू मंदिरों में भी इसी तरह का अपेक्षित सुधार आएगा।

# #11 गौ-नीति

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देशी गाय के उत्पादों पर एकाधिकार बनाना चाहती है, ताकि इन्हें ऊँचे दाम पर बेचा जा सके। मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल करके वे निरंतर ऐसे क्रानून छपवा रहे हैं, जिससे देशी गाय की नस्ल वर्ण संकर बन रही है, गौ हत्या बढ़ रही है और देशी गौ उत्पाद महंगे हो रहे हैं। इस क्रानून के गेजेट में आने से गौ हत्या में कमी आएगी, देशी गाय के उत्पाद सस्ते होंगे, और गौ वंश का सरंक्षण होगा। इस क्रानून को विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस क्रानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/GauNiti](http://tinyurl.com/GauNiti)



प्रस्तावित गौ-नीति क्रानून के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

1. इस क्रानून में गौ, गाय या गौ-वंश शब्द से आशय है – पूर्णतया भारतीय नस्ल की गाय एवं उसका वंश। अन्य दुधारू पशु जैसे जर्सी गाय आदि इस क्रानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
2. मुख्यमंत्री एक गौ-कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। गौ कल्याण मंत्री राज्य में देशी गाय या भारतीय नस्ल की गाय के सरंक्षण एवं देशी गाय के सभी उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्धारण, प्रबंधन एवं नियमन करेगा। गौ मंत्री भारतीय नस्ल की गायों का निषेचन जर्सी सांडों से करने के लिए चलायी गयी सभी योजनाओं को बंद करेगा तथा देशी गाय के दूध में जर्सी गायों के दूध की मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक नीति बनाएगा। गौ मंत्री वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा। यदि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके उसे बदल सकेंगे।
3. मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में एक गौ प्रकोष्ठ (Cow Protection Cell) की स्थापना करेंगे। इस प्रकोष्ठ का मुखिया पुलिस उप अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी होगा, जो कि गौ-रक्षा अधिकारी कहलायेगा। मामलों की संख्या को देखते हुए किसी जिले में इसके लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, या फिर किसी उप अधीक्षक को इसका अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है। किन्तु यदि गौ रक्षा अधिकारी को नागरिकों ने वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके नियुक्त किया है तो वह सिर्फ गौ प्रकोष्ठ का कार्य ही करेगा।
4. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस क्रानून के पारित होने के बाद आपको जूरी छूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी मंडल का चयन लॉटरी से किया जाएगा, मुकदमे की गंभीरता को देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य हो सकेंगे। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत आदि देखकर वहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। निचे दिए गए मामले जूरी छूटी के दायरे में आयेंगे :
  - गौ रक्षा अधिकारी, गौ कल्याण मंत्री एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित सभी नागरिक शिकायतें।
  - गौ वंश की तस्करी, गौ हत्या एवं देशी गाय से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमें।
  - देशी गाय के उत्पादों में जर्सी गायों के उत्पादों की गैर कानूनी मिलावट की शिकायतें।

## #12 जूरी पंचायत

यह कानून पंचायत एवं स्थानीय स्तर के प्रशासन को सुधारने के लिए लिखा गया है। इस कानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे विधानसभा से पास करके राज्य में लागू कर सकते हैं। निचे इस कानून के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [tinyurl.com/JuryPanchayat](http://tinyurl.com/JuryPanchayat)

(1) इस कानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर राज्य के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। निम्नलिखित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में आयेंगे :

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. सरपंच                     | 4. नगर परिषद / नगर निगम पार्षद |
| 2. तहसील पंचायत समिति प्रधान | 5. नगर परिषद सभापति / मेयर     |
| 3. जिला पंचायत प्रमुख        |                                |

तब यदि आप ऊपर दिए गए किसी जनप्रतिनिधि के काम-काज से संतुष्ट नहीं हैं, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को लाना चाहते हैं तो पटवारी कार्यालय में जाकर स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते हैं। आप अपनी हाँ SMS, ATM या मोबाइल APP से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या अपनी स्वीकृति रद्द कर सकते हैं। यह स्वीकृति आपका वोट नहीं है। बल्कि यह एक सुझाव है।

(2) यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। निम्नलिखित 6 अधिकारियों, धारा (1) में दिए जनप्रतिनिधियों एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित नागरिक शिकायतें जूरी ड्यूटी के दायरे में रहेगी। जूरी का चयन लॉटरी से किया जाएगा, तथा मामले की हैसियत के अनुसार जूरी में 15 से 1500 नागरिक तक हो सकेंगे। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको अमुक अधिकारीयों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज नागरिक शिकायतों की सुनवाई करके फैसला देना होगा। शिकायत की गंभीरता के अनुसार आप निम्न अधिकारियों पर जुर्माना आदि लगा सकते हैं।

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. पटवारी              | 4. गिरदावर         |
| 2. ग्राम विकास अधिकारी | 5. नगर परिषद सचिव  |
| 3. तहसीलदार            | 6. जिला परिषद सचिव |

(3) इस कानून के पारित होने के बाद से सरपंच का सेवा भत्ता न्यूनतम 40,000 रु एवं अधिकतम 50,000 मासिक होगा। सरपंच अधिकतम 8 पंचायत से चुनाव लड़ सकेगा और वह उतनी पंचायतों का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा, जितनी पंचायत में वह सरपंच चुना गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 6 पंचायत से चुनाव लड़ता है, और 5 पंचायत से जीत जाता है तो वह 2,00,000 रु मासिक प्राप्त करेगा।

(4) इस कानून के पारित होने के बाद सभापति का सेवा भत्ता न्यूनतम 60,000 रु एवं अधिकतम 80,000 रु होगा। नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम पार्षद का न्यूनतम सेवा भत्ता 15,000 से 25,000 रु मासिक होगा। पार्षद किन्ही 5 वार्ड से चुनाव लड़ सकेगा, और वह उतने वार्ड का सेवा भत्ता प्राप्त करेगा जितने वार्ड से वह चुना गया है।

# #13 प्रस्तावित टू चाइल्ड लॉ

यह प्रस्तावित क्रानून दो से अधिक संतान रखने वाले नागरिकों पर कुछ दंडात्मक प्रावधान लगाता है। परन्तु जिन अभिभावकों के 1 या 2 या 3 पुत्रियाँ हैं किन्तु कोई भी पुत्र नहीं है, उन्हें इस क्रानून के अनुसार कुछ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेंगे, एवं उन्हें किसी आर्थिक दंड का सामना भी नहीं करना होगा। किन्तु यदि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र या एक पुत्री एक पुत्र हैं और फिर भी वे एक संतान और पैदा करते हैं तो उन्हें कुछ आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। यह कानून भारत में जनसँख्या के लगातार बिगड़ रहे धार्मिक संतुलन में भी सुधार लायेगा। इस क्रानून को धन विधेयक के रूप में लोकसभा से साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इस क्रानून को राज्यसभा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। यह क्रानून भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उलंघन नहीं करता, अतः इसके लिए किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन की भी ज़रूरत नहीं है। इस क्रानून के मुख्य बिंदु निचे तालिका में दिए गए हैं। पूरा कानून ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/TwoChildLaw](http://tinyurl.com/TwoChildLaw)

#	पुत्रों एवं पुत्रियों की संख्या	खनिज रॉयल्टी में बढ़ोतरी	खनिज रॉयल्टी में कटौती	जुर्माना : आय के अनुपात में	कारावास	जुर्माना : क्रानून आने के 5 वर्ष बाद	कारावास : क्रानून आने के 5 वर्ष बाद
1.	निसंतान/ संतान की आयु 23 वर्ष से कम	33%	-	-	-	-	-
1a	निसंतान/ संतान की आयु 23 से अधिक	-	-	-	-	-	-
2	S (Son)	-	-	-	-	-	-
3	D,DD, DDD	33 %	-	-	-	-	-
4	DDDD	66 %	-	-	-	-	-
5	SS, SD, DS, DDS, DDDS, DDDDS, DDDDDD	-	-	-	-	-	-
6	बिंदु 5 से एक संतान अधिक होने पर	-	33%	-	-	-	-
7	बिंदु 6 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	-	-	10%	20 वर्ष तक मताधिकार रद्द
8	बिंदु 7 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	-	10%	2 वर्ष
9	बिंदु 8 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	2 वर्ष	10%	2 वर्ष अतिरिक्त, नसबंदी
10	बिंदु 9 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	2 वर्ष अतिरिक्त, नसबंदी	10%	बिंदु 9 के समान